लेखे एक दृष्टि में

2018-19

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2018-19 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के इक्कीसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्तीय तथा विनियोग लेखाओं को तैयार किया गया है।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ।

शिमला
दिनांकः 10 जून 2020

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे और विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन(एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	10
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	13
2.2	राजस्व प्राप्तियां	13
2.3	कर राजस्व	15
2.4	कर वसूली में दक्षता	18
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षो का रूझान	18
2.6	सहायता-अनुदान	19
2.7	लोक ऋण	20
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	21
3.2	राजस्व व्यय	22
3.3	पूंजीगत व्यय	24
अध्याय IV	**योजनागत तथा आयोजनेतर व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण	27
4.2	योजनागत व्यय	27
4.3	आयोजनेतर व्यय	29
4.4.	प्रतिबद्ध व्यय	30

पृष्ठ

अध्याय V **विनियोग लेखे**

5.1 वर्ष 2018-19 के लिए विनियोग लेखों का सारांश 31
5.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान 31
5.3 महत्वपूर्ण बचतें 32

अध्याय VI **परिसम्पतियां तथा दायित्व**

6.1 परिसम्पतियां 36
6.2 ऋण तथा देनदारियां 37
6.3 प्रतिभूतियां 38

अध्याय VII **अन्य मदें**

7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष 39
7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम 39
7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 39
7.4 रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश 41
7.5 लेखाओं का समाधान 42
7.6 लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण 42
7.7 अग्रिम भुगतान 42
7.8 उचन्त शेषों की स्थिति 42
7.9 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति 43
7.10 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता 44
7.11 नई पेंशन स्कीम 45
7.12 व्यक्तिगक जमा खाते 45
7.13 निवेश 46
7.14 व्यय का तीव्र प्रवाह 46
7.15 आरक्षित निधियां 47
7.16 राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर 48
7.17 लेखाकंन मानक से संकलन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 48

अध्याय I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश विभिन्न अभिकरणों/एजेसियों द्वारा संग्रहित, वर्गीकृत एवं लेखा सामग्री को संकलित करने तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन 18 जिला खजानों , 80 लोक निर्माण मण्डलों, 54 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों व 89 वन मण्डलों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनो पर आधारित होता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवत्ता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संकलित इन लेखाओं से वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है:-

1.2.2 लेखाओ का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

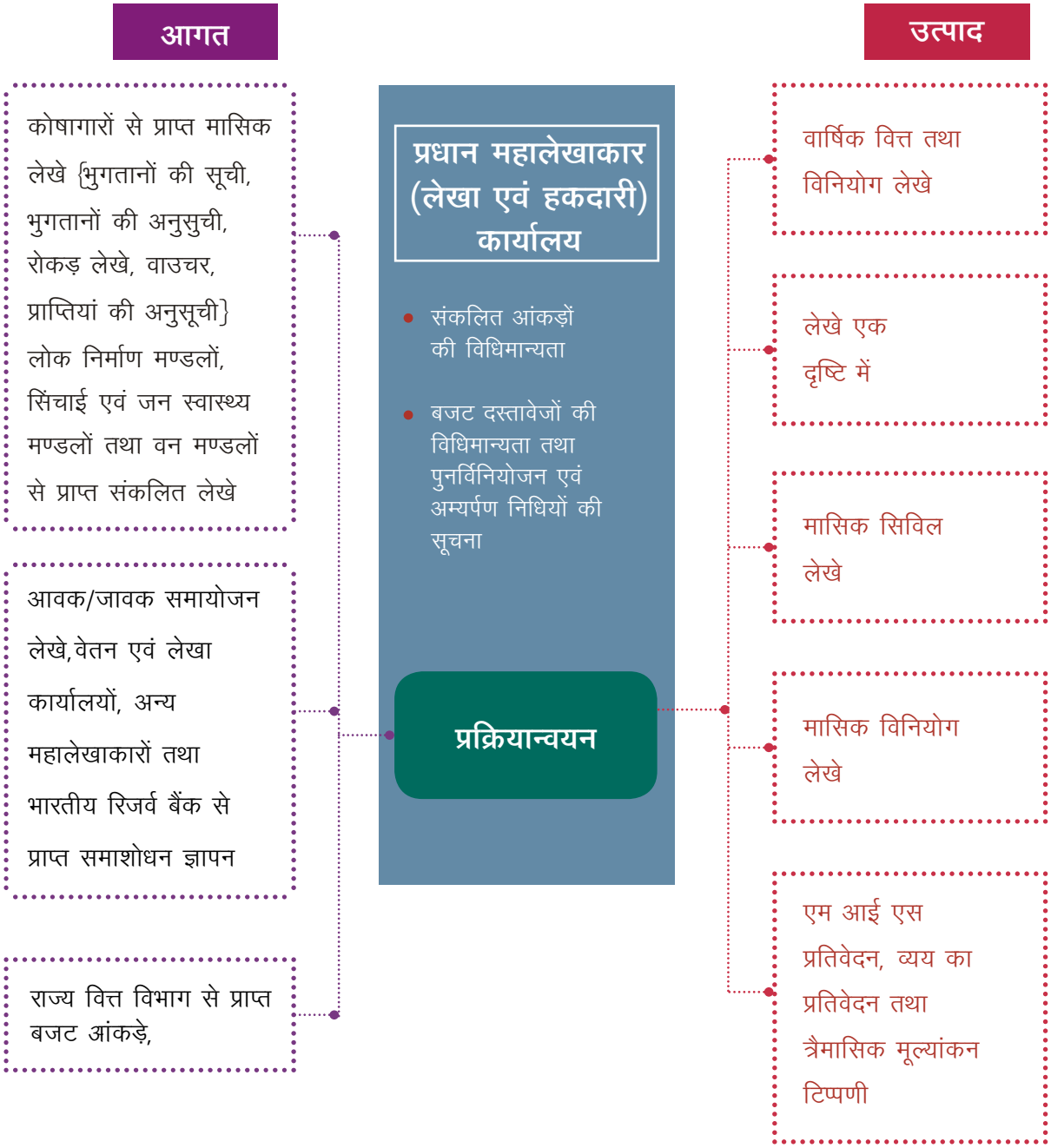

1.3 वित्त लेखे और विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक - लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग- II) समावेश किया जाता हैं ।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन. जी. ओ.) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹ 962 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त-लेखे के खण्ड- II में परिशिष्ट- VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2018-19 की वित्तीय आर्कषणं

वर्ष **2018-19** के वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा बजट अनुमानों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

क्र0 स0	विवरण	बजट प्राक्कलन 2018-19	वास्तविक आंकड़े 2018-19	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता (#)
1.	कर राजस्व (संधीय भाग सहित) (क)	14635	13002	89	9
2.	गैर कर-राजस्व	1981	2830*	143	2
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	13784	15118	110	10
4.	*राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)*	**30400**	**30950***	**102**	**20**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	35	22	63	--**
6.	अन्य प्राप्तियां	--**	9	--**	--**
7.	उधार तथा अन्य दायित्व (ख)	7821	3512	45	3
8.	*पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)*	**7856**	**3543**	**45**	**2**
9.	*कुल प्राप्तियां (4+8)*	**38256**	**34493**	**90**	**23**
10.	*राजस्व व्यय*	**33568**	**29442**	**88**	**19**
11.	मद संख्या 11 में से ब्याज अदायगियों पर आयोजनेतर व्यय	4260	4022	94	3
12.	*पूंजीगत व्यय*	**4240**	**4583**	**108**	**3**
13.	*ऋणों तथा अग्रिम (ग)*	**448**	**468**	**104**	**--****
14	*कुल व्यय (10+12+13)*	**38256**	**34493**	**90**	**23**
15.	*राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+)(4-10)*	**(-)3168**	**(+)1508***	**(+)149**	**1**
16.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)*	**(-)7821**	**(-)3512**	**(-)45**	**(-)2**

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 5429 करोड़ सम्मिलित है । (राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 7573 करोड़ थी जो कि जी एस डी पी का 5 *प्रतिशत* है।)

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋण तथा अग्रिम योजनागत (₹ 439 करोड़) + ऋण तथा अग्रिम आयोजनेतर (₹ 29 करोड़)

\# सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (**₹ 151835 करोड़**) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं है।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹ 12 करोड़ की राशि शामिल है ।

** प्रतिशतता नगण्य थी अतः-- दर्शाया गया है ।

वर्ष 2018-19 की प्राप्तियां व संवितरण

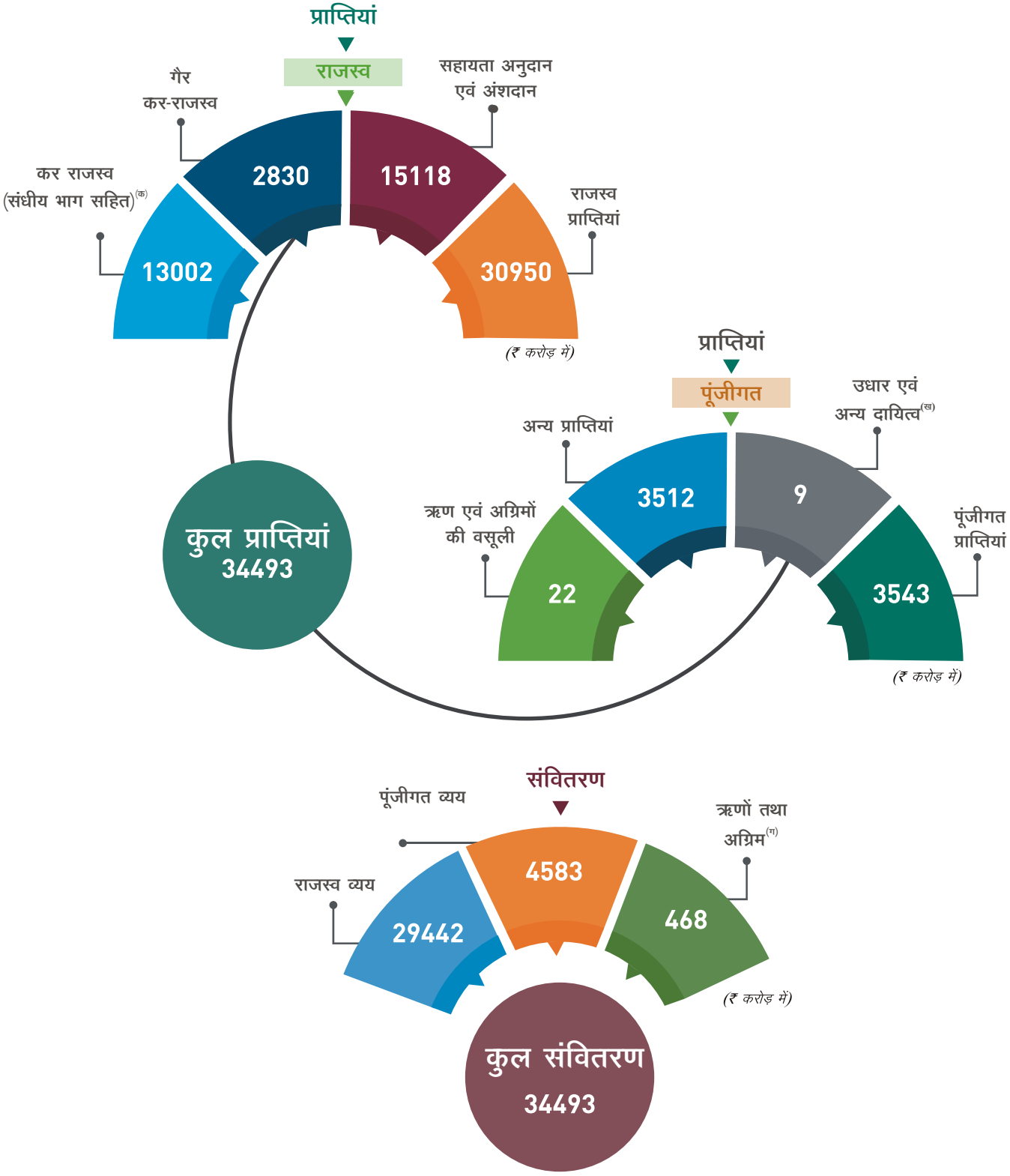

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹5429 करोड़ सम्मिलित है । (राज्य सरकार की कर प्राप्तियाँ ₹ 7573 करोड़ थी जो कि जी एस डी पी का 5 *प्रतिशत* है।)

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अनुच्छेद-204 व 205 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 15 प्रभारित विनियोजन तथा 32 दत्तमत अनुदान है। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

1.3.4 बजट तैयारी में दक्षता

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट (₹ 46985 करोड़)के सम्मुख हिमाचल प्रदेश सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत ₹5337 करोड़ की कुल बचत और ₹ 821 करोड़ का व्यय आधिक्य दर्शाया गया है अतएव ₹ 4516 करोड़ की निवल बचत हुई । भू-राजस्व और जिला प्रशासन, सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, न्याय प्रशासन, लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन (सभी दत्तमत अनुदान), सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत अधिक्य प्राधिकरत होने हैं।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्ब बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1496 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹ 1496 करोड़ वापिस किए गए।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्ब बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेष में ₹ 0.55 करोंड़ से कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम के पश्चात् ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2018-19 के दोरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2019 को राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 1508 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 3512 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹1754 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 2250 करोड़) और आदि शेष तथा अन्त शेष में निवल घाटा (₹491 करोड) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 30950 करोड़) का लगभग 69 *प्रतिशत* वेतनों (₹10956 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹ 4022 करोड़), तथा पैंशन (₹4975 करोड़) और उपदान (₹1283 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 254 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2018 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-)541
राजस्व प्राप्तियां	30950
पूंजीगत प्राप्तियां	9
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	22
लोक ऋण	6427
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3753
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	500
प्राप्त जमा	3519
चुकता किए गए सिविल अग्रिम	62
उचन्त लेखे	36127*
सम्प्रेषण	7448
योग	88276

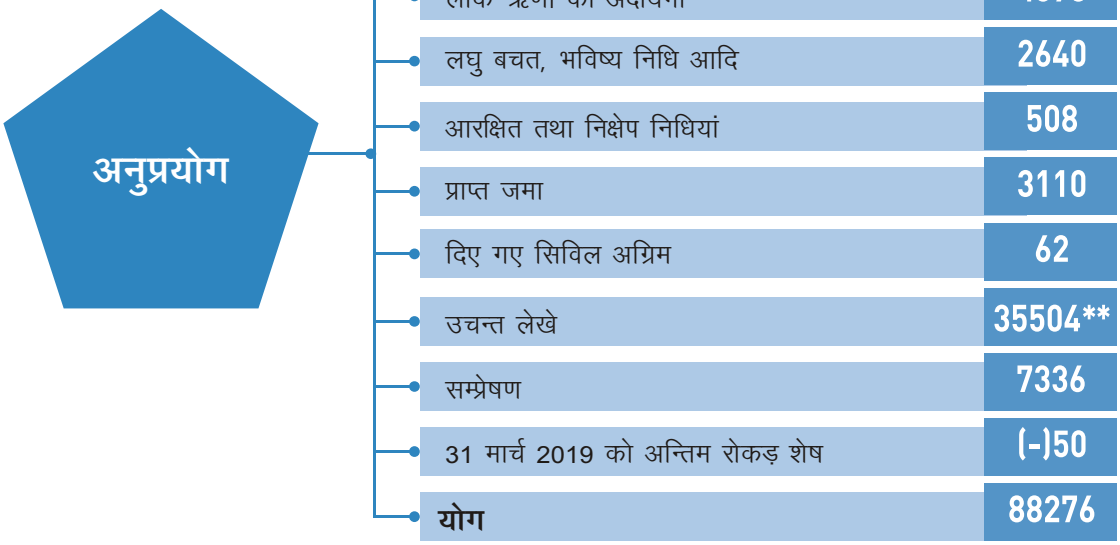

राजस्व व्यय	29442
पूंजीगत व्यय	4583
दिए गए ऋण	468
लोक ऋणो की अदायगी	4673
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2640
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	508
प्राप्त जमा	3110
दिए गए सिविल अग्रिम	62
उचन्त लेखे	35504**
सम्प्रेषण	7336
31 मार्च 2019 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)50
योग	88276

* ₹ 35288 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

** ₹ 34666 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

वास्तविक प्राप्तियां

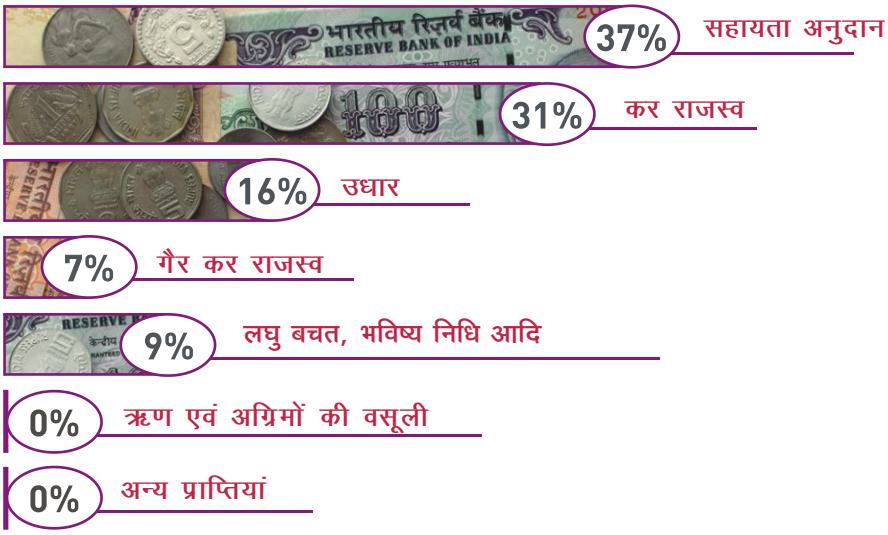

(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 22 करोड़ थी जो कि नगण्य थी अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय

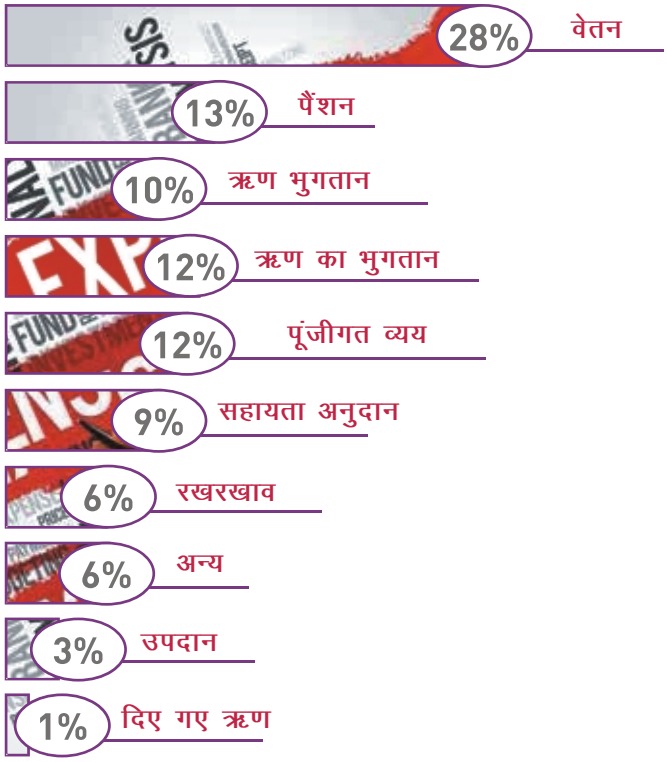

वर्ष 2018-19 में ₹1508 करोड़ का राजस्व आधिक्य (वर्ष 2017-18 में ₹314 करोड़ आधिक्य) तथा ₹ 3512 करोड़ का राजकोषीय-घाटा (वर्ष 2017-18 में ₹ 3870 करोड़ घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 10 प्रतिशत रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा/ आधिक्य

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिय

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत् राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधि में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वर्ष 2018-19 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धि निम्नलिखित थीः-

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	1508 (आधिक्य)	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	3512	3.50 या कम	2 *प्रतिशत* (वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया
3	ऋण तथा अन्य दायित्व	54299	32.88	36 *प्रतिशत* (लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया)
4	परादेय प्रति भूतियां	4309	गत वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति के 40% से कम	10 *प्रतिशत* (लक्ष्य को प्राप्त किया गया)

* सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 151835 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् विवरणो को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2017-18 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 314 करोड़ था और वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1508 करोड़ हो गया जोकि एफ. आर. बी. एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप था । वर्ष 2017-18 में ₹ 3870 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 358 करोड़ की कमी के कारण चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 3512 करोड़ रहा यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.31 *प्रतिशत* के बराबर था जो कि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य 3.50 *प्रतिशत* से अधिक है। 31 मार्च 2019 को परादेय ऋण ₹ 54299 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36 *प्रतिशत* है जो परादेय ऋण को कम करने के लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.82 *प्रतिशत* से अधिक है, । इसी प्रकार परादेय प्रतिभूतियों की राशि के लक्ष्य को पिछले वर्ष 2017-18 के सकल राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से कम बनाए रखना है जो कि 31 मार्च 2019 को ₹ 4309 करोड़, पिछले वर्ष 2017-18 के सकल राजस्व प्राप्तियों (₹ 27367 करोड़) की 16 *प्रतिशत* है।

1.5.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

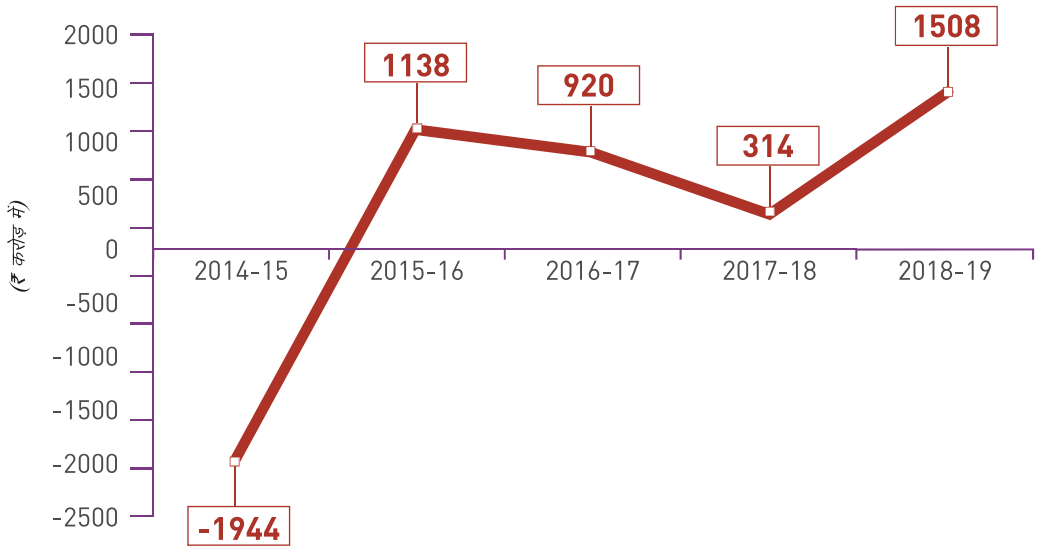

1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान

राजकोषीय घाटे का रूझान

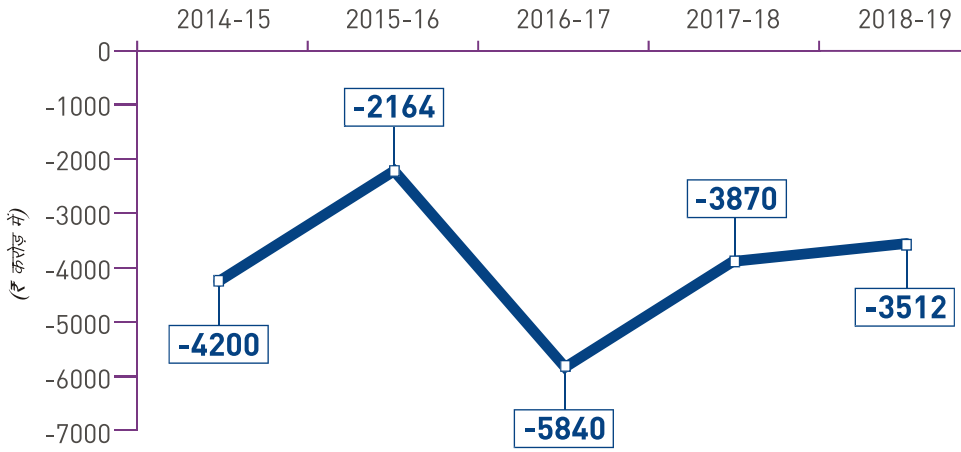

1.5.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2014-15	10877	2473
2015-16	6129	2864
2016-17	8603	3499
2017-18	5600	3756
2018-19	6427	4583

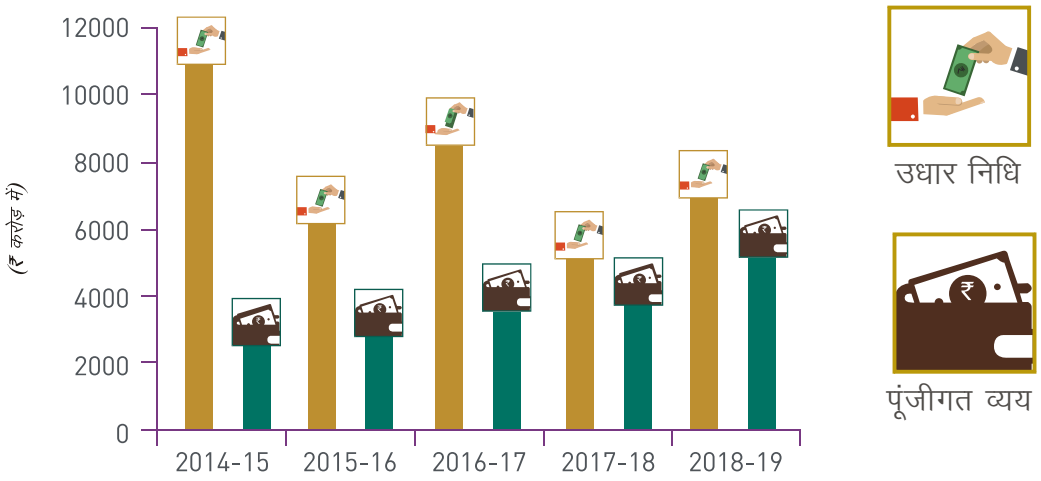

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है, अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके । इस प्रकार पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर ₹ 4583 करोड़ का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹ 6427 करोड़) का केवल 71 *प्रतिशत* था। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उद्यार का शेष ₹ 4673 करोड़ पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2018-19 में कुल प्राप्तियां ₹ 34493 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व — राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते है।

गैर कर-राजस्व — ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते है।

सहायता अनुदान — सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध "वैदेशिक सहायता अनुदान" भी शामिल है । बदले में , राज्य- सरकार पंचायती राज संस्थान , स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है ।

राजस्व-प्राप्तियां

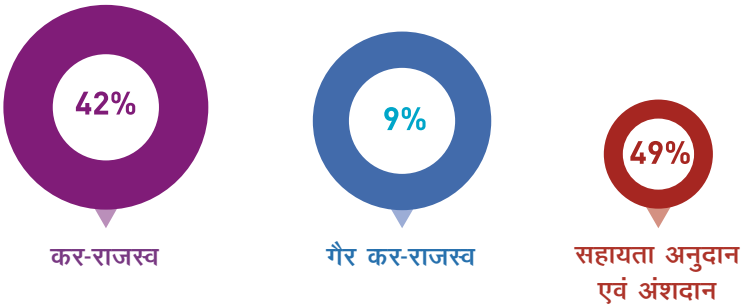

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2018-19)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
*क. कर-राजस्व **	**13002**	**42**
माल व सेवाओं पर कर	4790	15
आय व व्यय पर कर	3289	11
सम्पत्ति पूंजीगत तथा लेनदेनों पर कर	260	1
माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4664	15
ख. गैर कर-राजस्व	**2830**	**9**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	568	2
सामान्य सेवाएं	268	1
सामाजिक सेवाएं	316	1
आर्थिक सेवाएं	1678	5
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**15118**	**49**
कुल राजस्व प्राप्तियां	**30950**	**100**

*इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है ।

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	5940 (6)	6696 (6)	7039 (6)	7108 (5)	7573 (5)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	2644 (3)	3611 (3)	4344 (3)	4801 (3)	5429 (4)
गैर कर-राजस्व	2081 (2)	1837 (2)	1717 (1)	2364 (2)	2830 (2)
सहायता अनुदान	7178 (8)	11296 (10)	13164 (11)	13094 (10)	15118 (10)
कुल राजस्व प्राप्तियां	**17843 (19)**	**23440 (21)**	**26264 (21)**	**27367 (20)**	**30950 (20)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**95587**	**110511**	**124570**	**135914**	**151835**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं । (सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरो पर हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये है।

हांलाकि वर्ष 2018-19 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में बढोतरी केवल 13 *प्रतिशत* ही थी । कर राजस्व 7 *प्रतिशत* तक बढा जबकि गैर कर-राजस्वों में 20 *प्रतिशत* तक की वृद्धि देखी गयी तथा सहायता अनुदान में पिछले वर्ष के मुकाबले 15 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गयी, जिस से राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकुल असर पड़ा।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान

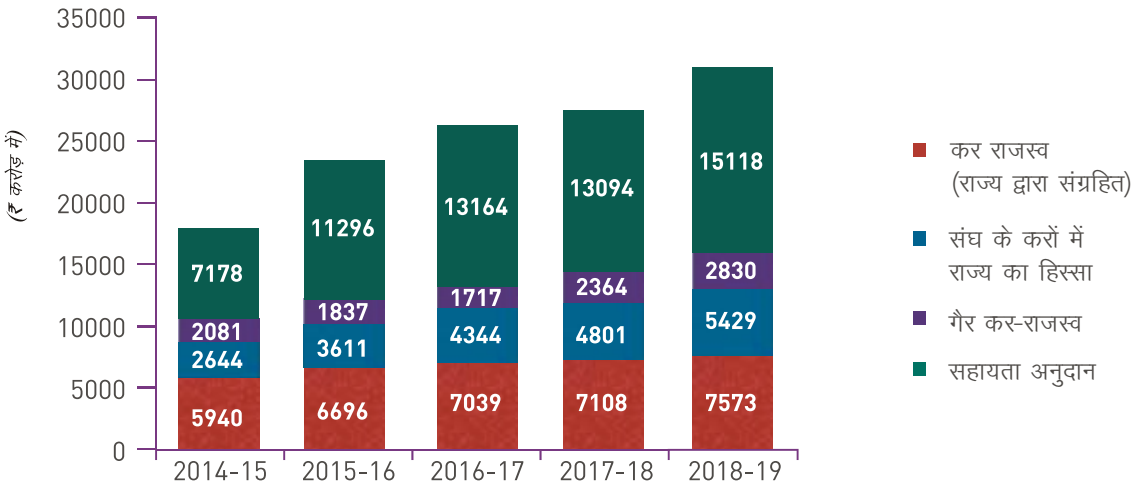

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
क. वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	2386 (2)	4790 (3)
ख. आय व व्यय पर कर	1583 (2)	1922 (2)	2362 (2)	2713 (2)	3289 (2)
ग. सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेन देनों पर कर	210 --	213 --	220 --	246 --	259 --
ध. वस्तुओं व सेवाओं पर कर	6791 (7)	8172 (7)	8801 (7)	6564 (5)	4664 (3)
कुल कर राजस्व	**8584 (9)**	**10307 (9)**	**11383 (9)**	**11909 (9)**	**13002 (9)**
जी एस डी पी	**95587**	**110511**	**124570**	**135914**	**151835**

टप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।
** लागु नहीं*

वर्ष 2018-19 में सकल कर राजस्व में बढोतरी भारत सरकार से राज्य अंश प्राप्त होने व मुख्यत: जी एस टी (₹ 3343 करोड़), निगम कर (₹ 1888 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर (₹ 1391 करोड़), के अधिक एकत्रीकरण के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान

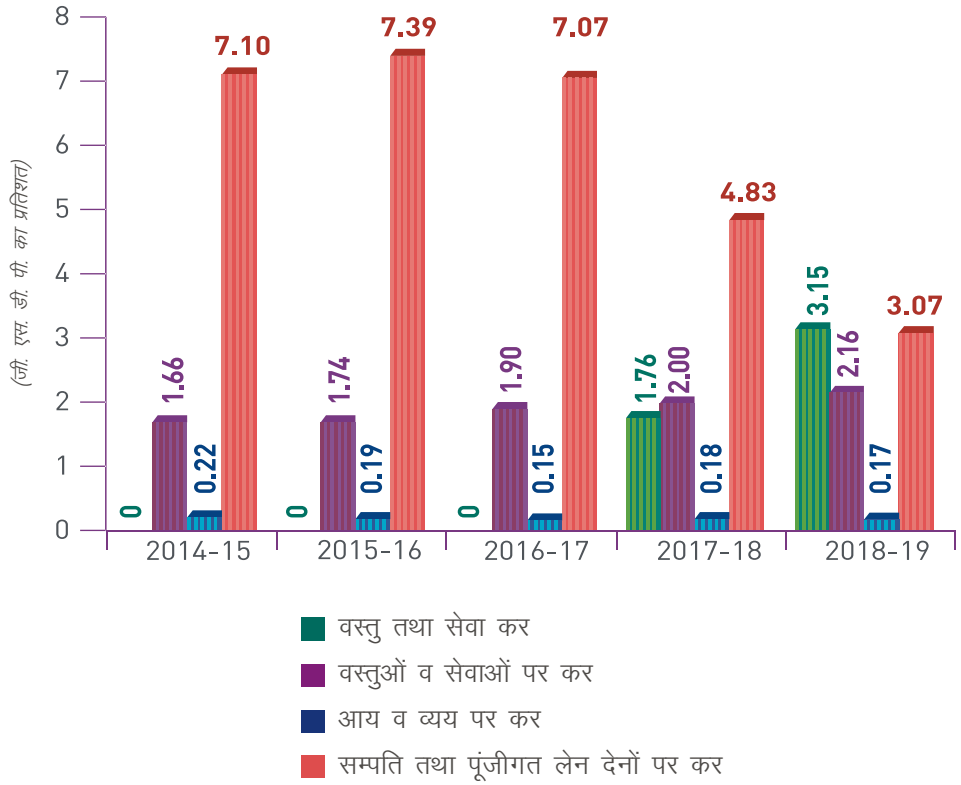

2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

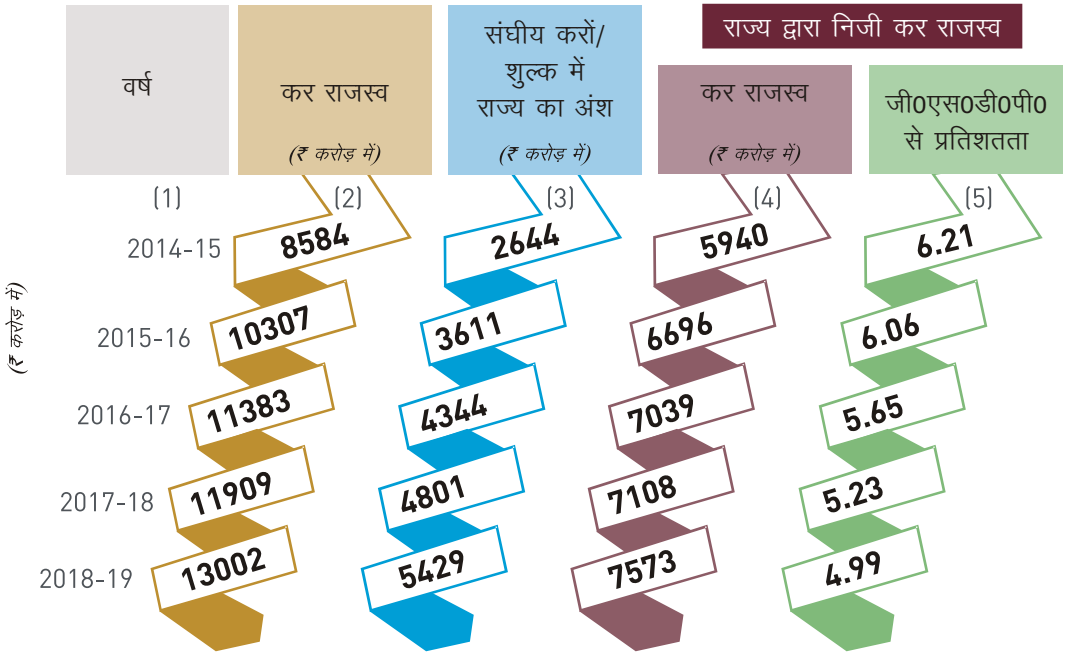

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षो के दौरान कर राजस्व के दो मुख्य स्त्रोतों की आय को दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राज्य का निजी कर संग्रहण	5940	6696	7039	7108	7573
संघीय करों में राज्य का अंश	2644	3611	4344	4801	5429
सकल कर राजस्व	**8584**	**10307**	**11383**	**11909**	**13002**
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का प्रतिशत	*69*	*65*	*62*	*60*	*58*

राज्य के अपने कर संग्रहण के अनुपात में कर राजस्व वर्ष 2015-16 में घटकर 65 प्रतिशत और 2016-17 में घटकर 62 प्रतिशत और 2017-18 में घटकर 60 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 में दोवारा घटकर 58 प्रतिशत दर्ज हुआ।

2.3.2 पिछले पाँच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राज्य वस्तु तथा सेवा कर	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*	1833	3343
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3660	3993	4382	2526	1185
राज्य आबकारी शुल्क	1044	1131	1308	1311	1482
वाहनों पर कर	220	317	280	367	408
स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	191	206	209	229	251
विद्युत पर कर एवं शुल्क	333	551	372	361	487
भूमि राजस्व	17	7	8	17	8
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	110	115	121	112	104
अन्य कर	365	376	359	352	305
सकल राज्य का निजी कर	**5940**	**6696**	**7039**	**7108**	**7573**

* लागू नहीं

2.4 कर वसूली पर दक्षता

(₹ करोड़ में)

कर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	3660	3993	4382	2526	1185
संग्रहण पर व्यय	3	4	4	7	2
कर वसूली में दक्षता	0.08%	0.10%	0.09%	0.28%	0.17%
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	1044	1131	1308	1311	1482
संग्रहण पर व्यय	4	4	6	6	6
कर वसूली में दक्षता	0.38%	0.35%	0.46%	0.46%	0.40%
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	330	432	401	479	512
संग्रहण पर व्यय	37	41	42	48	53
कर वसूली में दक्षता	11.21%	9.49%	10.47%	10.02%	10.35%
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	191	206	209	229	251
संग्रहण पर व्यय	2	2	23	8	9
कर वसूली में दक्षता	1.05%	0.97%	11.00%	3.49%	3.59%

अन्य करो के मुकाबले वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर एवं स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण पर व्यय अधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
केन्द्रीय वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (सी जी एस टी)	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	68	1340
एकीकृत वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (आई जी एस टी)	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	485	107
निगम कर	923	1136	1394	1471	1888
आय तथा व्यय पर अन्य कर	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	10
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	659	787	968	1242	1391
सम्पत्ति कर	3	शून्य	3	शून्य	Nil
सीमा शुल्क	428	579	600	485	385
संघीय आबकारी शुल्क	241	484	684	506	256
सेवा कर	390	622	695	544	49
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	शून्य	3	शून्य	शून्य	3
संघीय करों /शुल्क में राज्य का अंश	**2644**	**3611**	**4344**	**4801**	**5429**
कुल कर राजस्व	**8584**	**10307**	**11383**	**11909**	**13002**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	31	35	38	40	42

* लागू नहीं

हिमाचल प्रदेश सरकार को वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, कुल कर राजस्व का 31 प्रतिशत से 42 प्रतिशत हिस्सा, सभी बॉटने योग्य संघ करों की निवल आंगम से प्राप्त हो रहा है ।

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों , वित- आयोग अनुदान तथा राज्य/विधायीका वाले केन्द्रशासित प्रदेशो हेतु अन्य अन्तरण/अनुदान ।

वर्ष 2018-19 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹15118 करोड थी, जैसा निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान

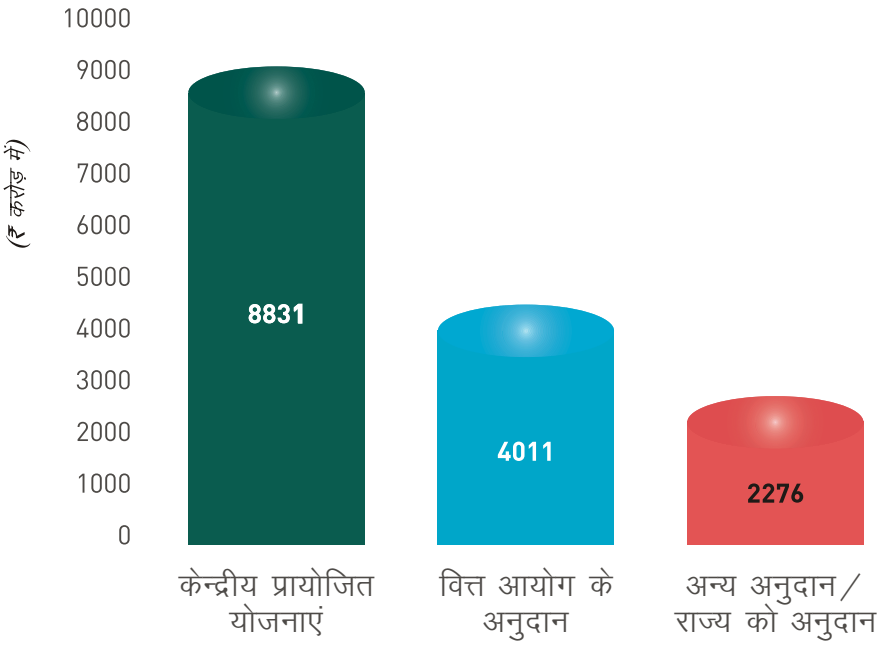

सहायता अनुदान का रूझान

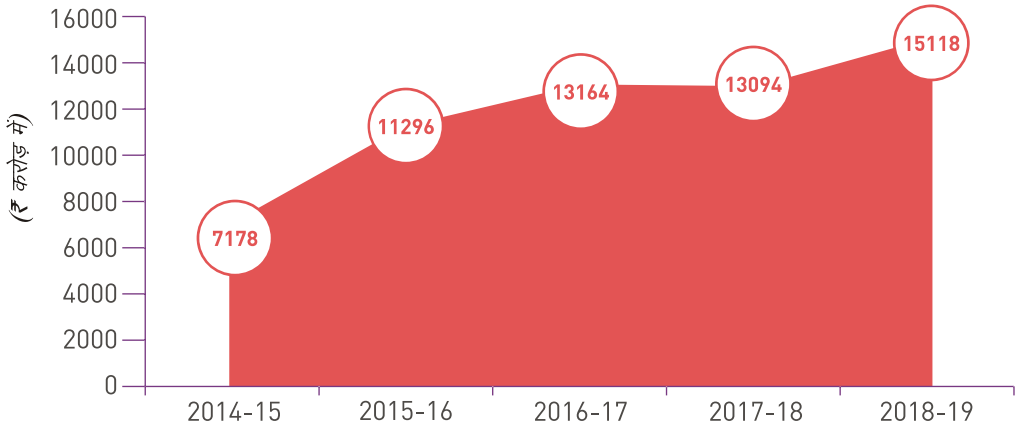

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

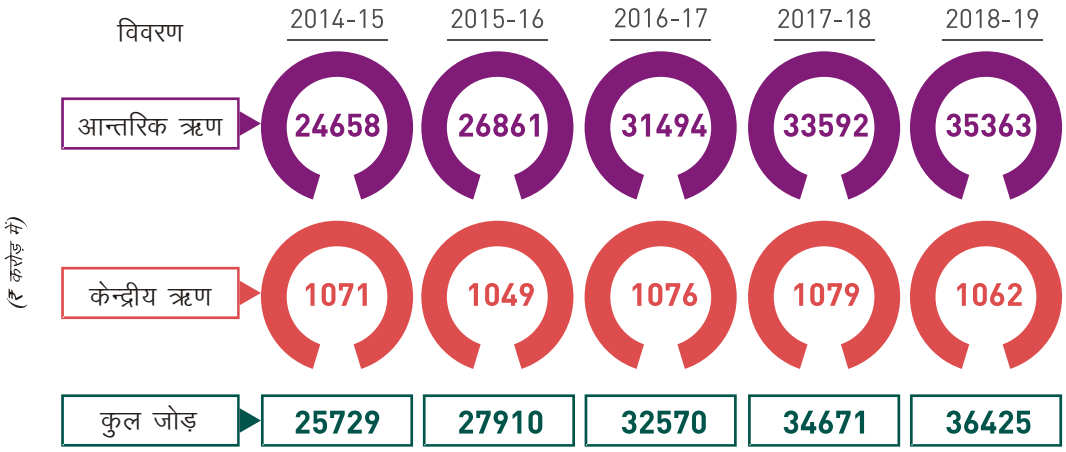

वर्ष 2018-19 में ₹ 4210 करोड़ के 9 ऋण 7.52 *प्रतिशत* से 8.77 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2021-28 के बीच में प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 654 करोड़ , भारतीय रिजर्व बैंक से ₹1496 करोड़ आर्थोपाय अग्रिम लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 6360 करोड़ लिया गया। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 67 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना

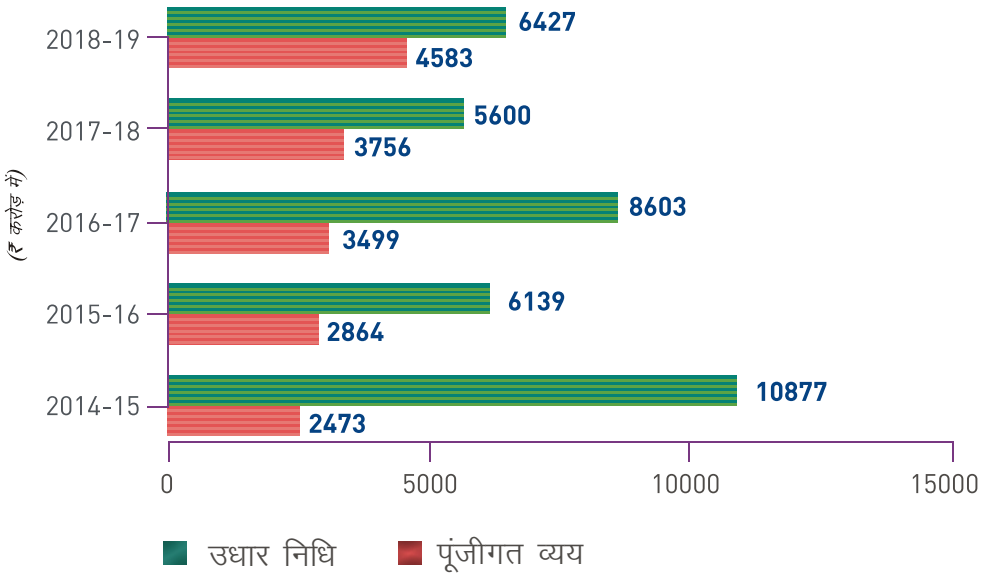

अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है । राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है । पूंजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । व्यय को और आगे योजनागत तथा योजनेतर के अधीन वर्गीकृत किया गया ।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा जा सकता हैः- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पैन्शन इत्यादि
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जल वितरण इत्यादि
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग , परिवहन इत्यादि

3.2 राजस्व व्यय

बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय में कमी, जो बिगत पाँच वर्षों के दौरान हुआ, को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल राजस्व व्यय	19784	23488	26746	28756	33568
वास्तविक आंकड़े	19787	22303	25344	27053	29442
अन्तर	(+)3	(-)1185	(-)1402	(-)1703	(-)4126
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	--	(-)5	(-)5	(-)6	(-)12

स्त्रोतः संबधित वर्ष के विनियोग लेखे

राजस्व व्यय का लगभग 73 प्रतिशत वेतन व मजदूरी (₹ 11210करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4022 करोड़), पैंशन (₹ 4975 करोड़) तथा उपदान (₹ 1283 करोड़) पर किया गया जो कि राज्य सरकार की 'प्रतिबद्ध व्यय' थी।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल राजस्व व्यय	19787	22303	25344	27053	29442
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	14982	16511	17919	20170	21490
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	*76*	*74*	*71*	*75*	*73*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	4805	5792	7425	6883	7952

प्रतिबद्ध राजस्व ब्याज में वेतन व मजदूरी, ब्याज, भुगतान पैंशन तथा अनुदान सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिवद्ध राजस्व व्यय में वर्ष 2014-15 में ₹ 4805 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 7952 करोड़ 65 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय में वर्ष 2014-15 में ₹19787 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 29442 करोड़ 49 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय म 43 *प्रतिशत* का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2018-19)

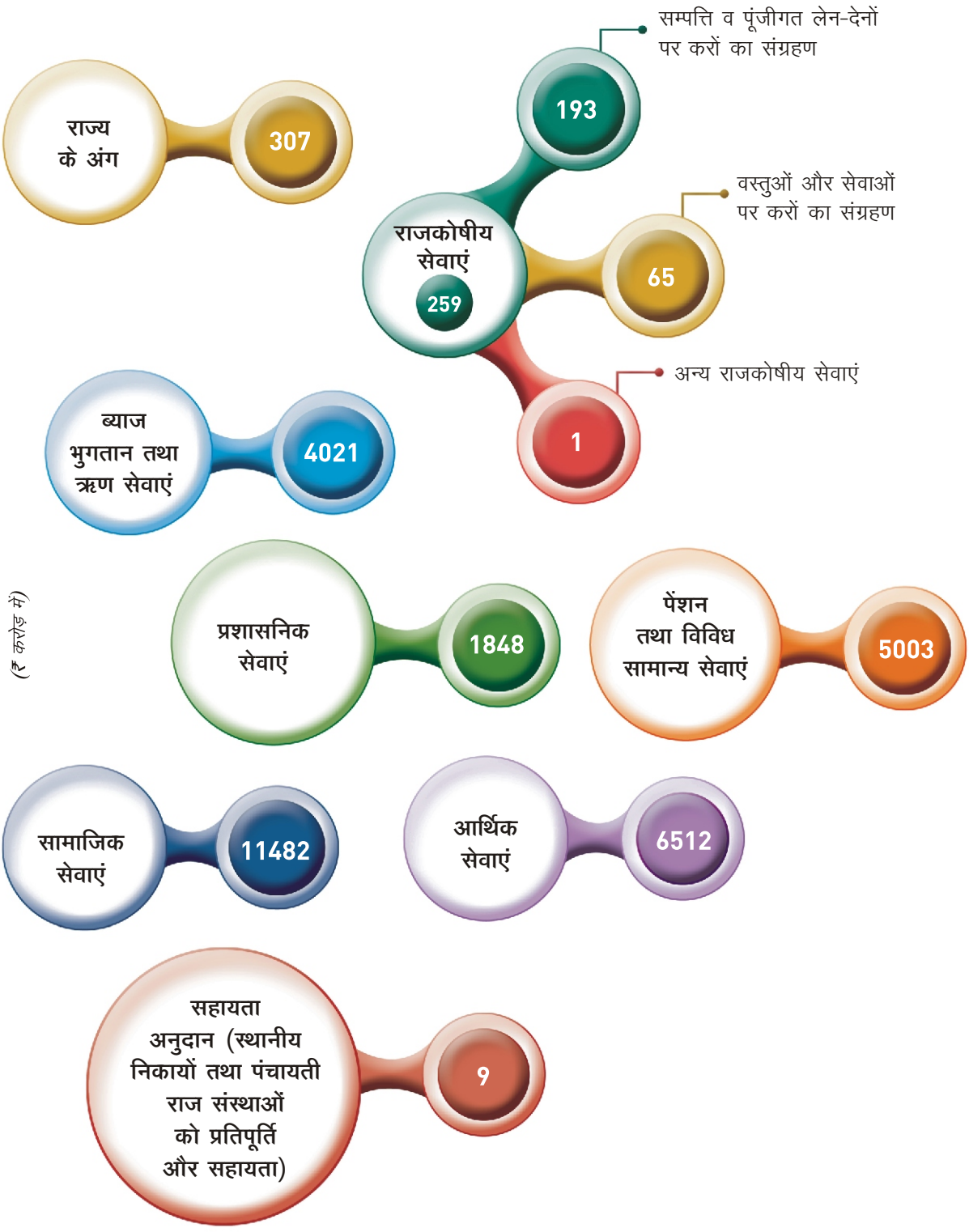

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2014-15 से 2018-19)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएं	7604	8789	9728	11019	11439
सामाजिक सेवाएं	7451	7980	9610	10337	11482
आर्थिक सेवाएं	4723	5524	5996	5697	6512
सहायता अनुदान एवं अंशदान	9	10	10	10	9

राजस्व व्यय के मुख्य घटको का रूझान

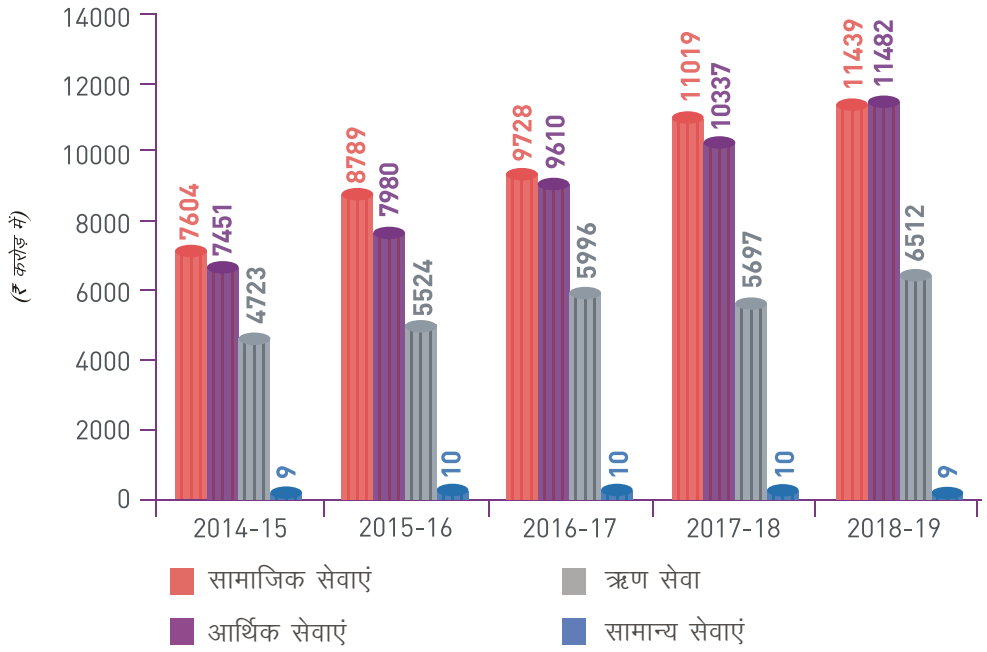

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है यदि वृद्धि प्रक्रिया लगातार बने रहती है। वर्ष 2018-19 में ₹4583 करोड के पूंजीगत संवितरण (जी एस डी पी के 3 *प्रतिशत*) बजट प्राक्कलनों से ₹343 करोड अधिक थे (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 327 करोड का अधिक संवितरण तथा योजनेतर व्यय के अधीन ₹ 16 करोड का अधिक व्यय)। वर्ष 2014-15 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानान्तर वृद्धि नही की तथा लगभग स्थिर रही। नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	बजट प्राक्कलन	1952	2951	3190	3475	4240
2	वास्तविक व्यय (#)	2473	2864	3499	3756	4583
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	127	97	110	108	108
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी	33%	16%	22%	7%	22%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	95587	110511	124570	135914	151835
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी	16%	16%	13%	9%	12%

पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2018-19 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न सिचाई परियोजनाओं पर ₹ 286 करोड का व्यय किया गया। (₹ 227 करोड़ लघु सिंचाई तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 59 करोड)। उपरोक्त के अलावा सरकार ने सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर ₹ 1941 करोड का खर्च किया तथा सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 113 करोड़ , सरकारी अन्य कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 204 करोड़, का निवेश किया।वर्ष के दौरान सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 2 करोड़, की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2. विगत पांच वर्षो में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएं	83 (3)	88 (3)	208 (3)	192 (5)	227 (4)
सामाजिक सेवाएं	522 (18)	792 (24)	1041 (15)	1135 (27)	1187 (24)
आर्थिक सेवाएं	1868 (63)	1984 (60)	2250 (33)	2429 (57)	3169 (63)
ऋण और अग्रिम	474 (16)	463 (14)	3290 (48)	503 (12)	468 (9)

टिप्पणी : कोष्ठको में आंकडे कुल पूंजीगत व्यय पर प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं ।

पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार विवरण का रूझान

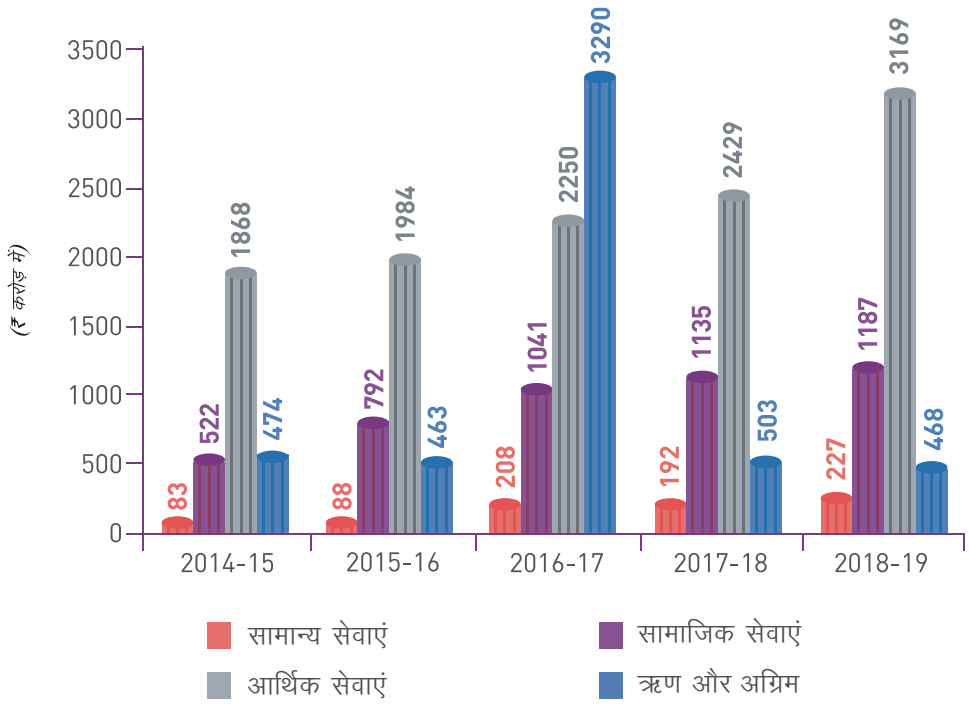

3.3.3. पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
क	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	83	88	208	192	227
		राजस्व	7604	8789	9728	11019	11439
ख	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	522	792	1041	1135	1187
		राजस्व	7451	7980	9610	10337	11482
ग	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	1868	1984	2250	2429	3169
		राजस्व	4723	5524	5996	5697	6512
घ	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*	लागू नहीं*
		राजस्व	9	10	10	10	9

* लागू नहीं

अध्याय IV

योजनागत तथा योजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण

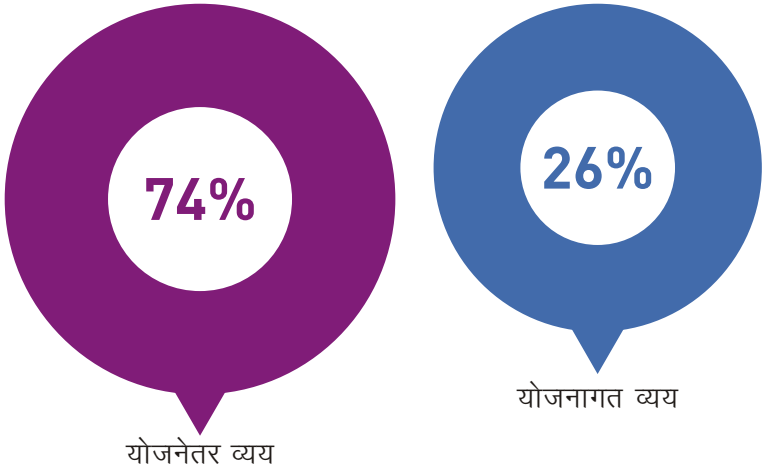

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान योजनागत व्यय (दोनों राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम) ₹ 8805 करोड़ था जोकि कुल व्यय ₹ 34493 करोड़ का 26 प्रतिशत है, इसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 5459 करोड़ , केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ₹ 3346 करोड़ है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में योजनागत व्यय की प्रतिशतता

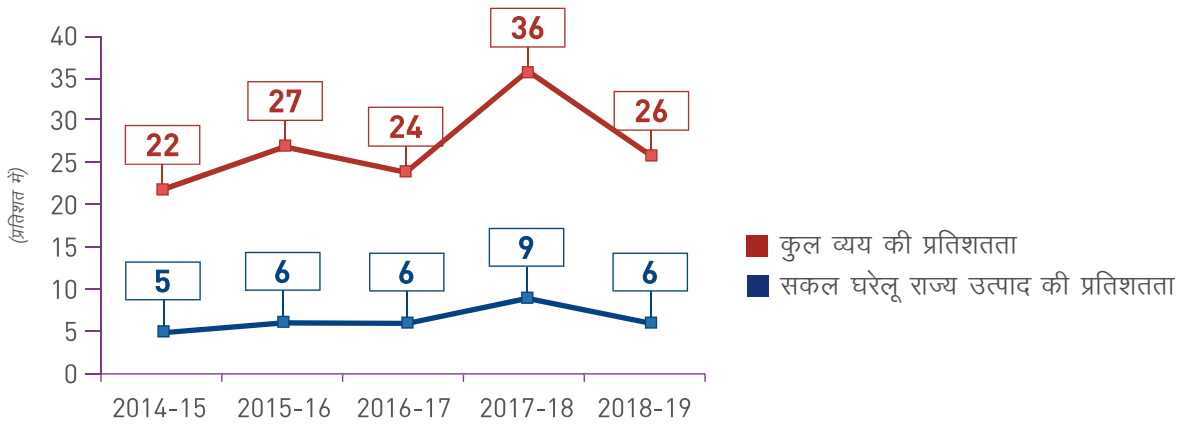

राजस्व-क्षेत्र के अधीन योजनागत व्यय में 2017-18 में ₹ 3772 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 4263 करोड़, 13 *प्रतिशत* तक की वृद्धि हुई। पूंजीगत क्षेत्रों में यह वृद्धि वर्ष 2017-18 में ₹ 3416 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 4103 करोड़ तक 20 *प्रतिशत* रही । केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना (राजस्व ₹ 2036 करोड़ तथा पूंजीगत ₹ 1310 करोड़) में योजनागत व्यय पर वर्ष 2017-18 में ₹ 2805 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 3446 करोड़ की वृद्धि हुई।

4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत योजनागत व्यय

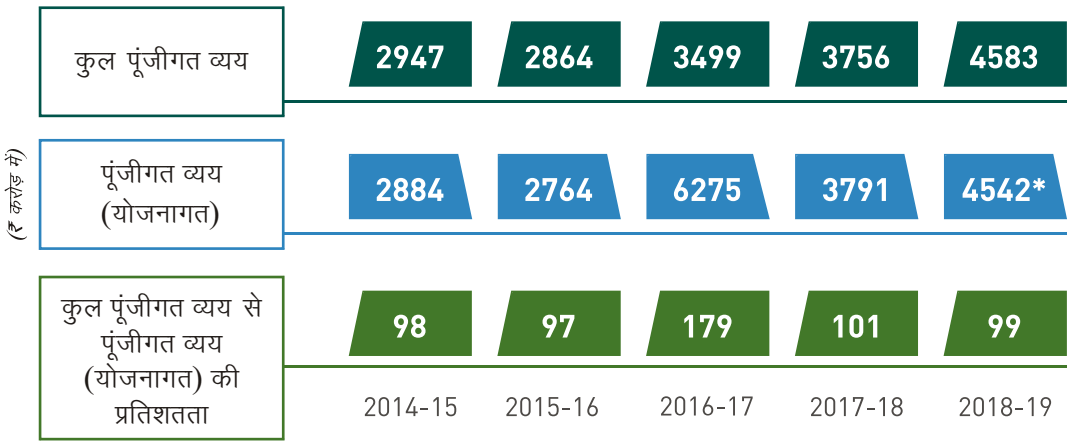

*ऋणों व अग्रिम के ₹439 करोड़ शामिल है।

4.2.2 ऋणों तथा अग्रिमों पर योजनागत व्यय

ऋणों व अग्रिम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संवितरण निम्न प्रकार से है :

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देशय
6425 सहकारिता के लिए ऋण	28	एकीकृत सरकारी विकास परियोजना
6801 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	409	विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को ऋण
7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	2	सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम
योग	439	

4.3 आयोजनेतर व्यय

वर्ष 2018-19 का आयोजनेतर व्यय ₹ 25689 करोड़ (दोनों राजस्व ,पूंजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम) जो कि कुल व्यय ₹ 34493 करोड़ का 74 *प्रतिशत* था। इसमें राज्य आयोजनेतर के अन्तर्गत ₹ 25410 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय आयोजनेतर योजना ₹ 250 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम ₹ 29 करोड़ था। वेतन तथा मजदूरी पर खर्च ₹ 11210 करोड़ कुल आयोजनेतर व्यय का 44 *प्रतिशत* था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में आयोजनेतर व्यय की प्रतिशतता

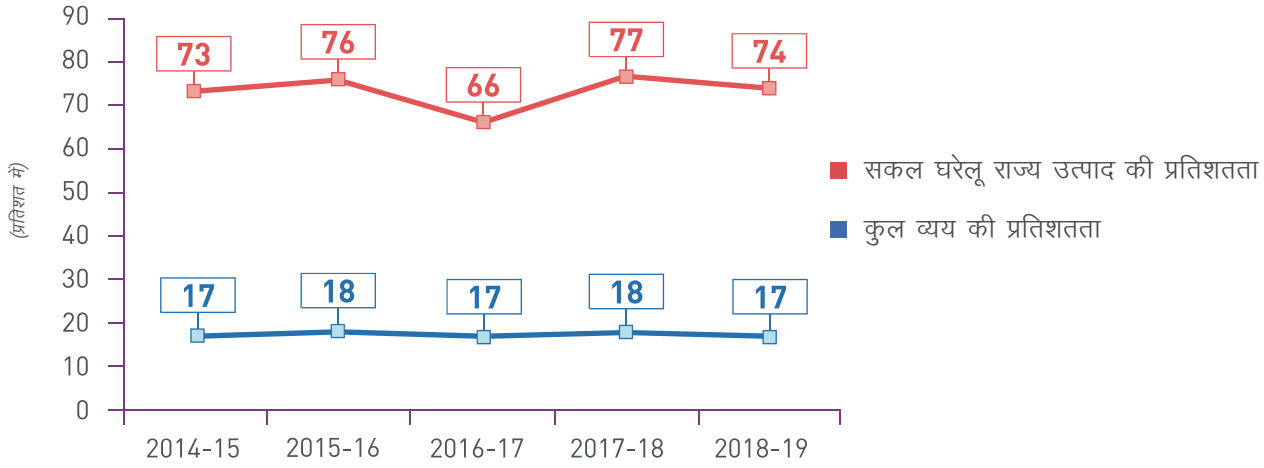

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले वेतन, पैंशन तथा ब्याज पर व्यय में वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन तथा पैंशन के पुनर्निधारण के कारण हुई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

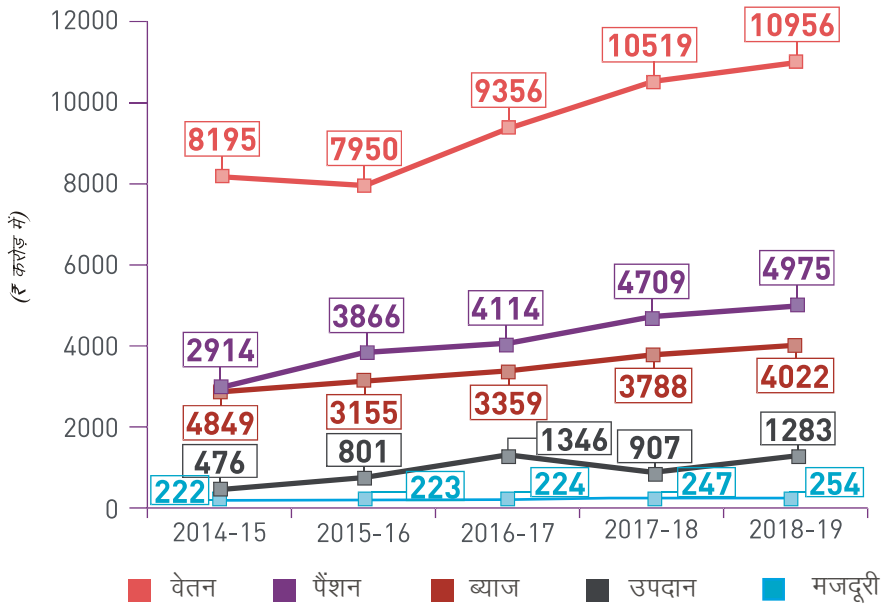

विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबद्ध व्यय के साथ तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रतिबद्ध व्यय	14982	16511	17919	20170	21490
राजस्व व्यय	19787	22303	25344	27053	29442
राजस्व प्राप्तियां	17843	23440	26264	27367	30950
कुल राजस्व प्राप्तियों से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	84	70	68	74	69
कुल राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	76	74	71	75	73

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक प्रतिबद्ध व्यय में बढोतरी 43 *प्रतिशत* रही, जबकि उसी समय में राजस्व व्यय में बढोतरी 49 *प्रतिशत* रही जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार के पास कम धन उपलब्ध रहा ।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व** दत्तमत *प्रभारित*	29245 4323	701 91	5000 170	24946 4244	25277 4165	(+)331 (-)79
2.	**पूंजीगत** दत्तमत *प्रभारित*	4285 --	641 11	358 --	4568 11	4572 11	(+)4 --
3.	**लोक ऋण** *प्रभारित*	3184	1438	--	4622	4673	(+)51
4.	**ऋण एवं अग्रिम** *दत्तमत*	448	260	299	409	467	(+)58
	योग दत्तमत *प्रभारित*	**33978** **7507**	**1602** **1540**	**5657** **170**	**29923** **8877**	**30316** **8849**	**(+)393** **(-)28**

5.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-) आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2014-15	(-)1465	(-)73	(+)967	(+)87	**(-)484**
2015-16	(+)31	(+)35	(+)2319	(+)138	**(+)2523**
2016-17	(-)2544	(+)69	(+)56	(+)2889	**(+)470**
2017-18	(+)204	(-)100	--	(+)10	**(+)114**
2018-19	(+)252	(+)4	(+)51	(+)58	**(+)365**

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, कुछ निश्चित स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन को दर्शाती है।

निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले एक करोड़ से अधिक कुछ अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	विधान सभा	--	--	--	3	3
2	राज्यपाल/मन्त्री परिषद	--	--	--	--	3
3	न्याय प्रशासन	6	13	15	12	33
4	सामान्य प्रशासन	12	17	13	14	21
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	36	--	87	--	--
6	आबकारी एवं कराधान	--	4	2	7	14
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	10	73	51	82	147
8	शिक्षा	385	1076	866	665	981
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	158	367	299	216	340
10	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	18	78	46	42	283
11	कृषि	--	38	27	11	75
12	उद्यान	--	--	--	103	19
13	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	--	--	--	119	152
14	पशुपालन , डेरी विकास एवं मत्स्य	7	35	35	45	74
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	12	31	47	30	32
16	वन और वन्य जीवन	3	33	61	88	131
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्यौगिकी	5	12	9	11	119
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	--	47	25	60	32
20	ग्रामीण विकास	110	209	122	403	390
21	सहकारिता	5	8	10	3	4
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	28	48	41	55	--
23	विद्युत विकास	--	1	146	383	185
25	सड़क एवं जल परिवहन	--	1	1	2	2
27	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	62	64	77	206	40
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	6	--	42	25	119
29	वित्त	587	229	87	304	1185
30	विभिन्न सामान्य सेवाए	--	14	14	8	13
31	जनजातीय विकास	13	123	198	301	408
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	26	32	420	236	545

वित्त, शिक्षा, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अधीन निरन्तर व्यापक बचत, स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बजट-प्राकलन में बढौतरी करके या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतू सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹ 3142 करोड़ (₹ 42469 करोड़ कुल व्यय का 7.40 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुई। वर्ष के अन्त में मूल बजट के विरूद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
01	7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण- 202- मोटर वाहन को खरीदने के लिए अग्रिम- 05- विधान सभा सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए ऋण- गैर योजना	पूंजीगत	1	3	3
02	2013- मंत्री परिषद- 101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन- 01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की परिलब्धियां - गैर योजना	राजस्व	11	4	14
04	2051- लोक सेवा आयोग- 102- राज्य लोक सेवा आयोग - 01- राज्य लोक सेवा आयोग - गैर योजना	राजस्व	9	7	15
04	2216- आवास- 05- साधारण पूल आवास- 053- रख-रखाव एवं मरम्मत 01- अन्य रख-रखाव पर व्यय- गैर योजना	राजस्व	--	1	--
05	2053- जिला प्रशासन 093- जिला स्थापनाएं- 01- सामान्य स्थापना- गैर योजना	राजस्व	148	4	129
07	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय- 211- पुलिस आवास- 05- राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण- गैर योजना	पूंजीगत	--	2	1
09	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- *03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान-* 105- एलौपैथी- 07- चंबा चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण- योजना	पूंजीगत	33	18	46

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
10	5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय- *04- जिला और अन्य सड़कें -* 337- सड़क निर्माण- 16- भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त प्रशासनिक और आकस्मिक प्रभार- गैर योजना	पूंजीगत	--	20	17
24	2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण- 103- सरकारी मुद्रणालय- 01- हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय- गैर योजना	राजस्व	18	2	17

अनुपूरक अनुदान के आबंटन के बाबजूद भी वर्ष के अन्त में व्यय के आधिक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
05	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- 02- बाढ, चक्रवात इत्यादि- 101- अनुग्राहिक राहत- 01- नगद निर्वाह दान- गैर योजना	राजस्व	--	12	24
05	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- 02- बाढ, चक्रवात इत्यादि- 106- क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जीर्णोदार- 01- सड़कों और पुलों की मरम्मत गैर योजना	राजस्व	--	36	86
05	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- 02- बाढ, चक्रवात इत्यादि- 109- क्षतिग्रस्त, जलापूर्ति, जल और मल कार्यों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना- 01- पेयजल तथा मल निकासी योजनाओं को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय- गैर योजना	राजस्व	--	25	48

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
05	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- 02- बाढ, चक्रवात इत्यादि- 111- संतृप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान- 01- अनुग्रह अदायगी- गैर योजना	राजस्व	--	8	73
05	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- 02- बाढ, चक्रवात इत्यादि- 113- घरों की मुरम्मत/ एवं पुनः निर्माण हेतु अनुदान 01- घरों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये अनुदान- गैर योजना	राजस्व	--	3	23
05	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- 02- बाढ, चक्रवात इत्यादि- 193- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को अनुदान- 01- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता- गैर योजना	राजस्व	--	4	29
05	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- *05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-* 101- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से रिजर्व फण्ड एवं जमा लेखा के लिए स्थानान्तरण- 02- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि- गैर योजना	राजस्व	--	84	227
10	5054- सडकों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय- *04- जिला और अन्य सड़कें -* 337- सड़क निर्माण- 09- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम निधि एवं प्रशासनिक व्यय विधि- योजना	पूंजीगत	355	48	493
22	2408- खाद्य भंडारण और भाण्डागार- *01- खाद्य* 102- खाद्य उपदान- 13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान- योजना	राजस्व	5	19	47
23	6801- विद्युत परियोजनाओं को ऋण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण- 02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण- योजना	पूंजीगत	83	225	344

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
27	2230- श्रम तथा रोजगार- *03- प्रशिक्षण-* 800- अन्य व्यय- 01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम योजना	राजस्व	--	45	71
29	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- 110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम- 01-साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट - गैर योजना	पूंजीगत	--	1439	1496

₹ 7 करोड़ के व्यय के 5 मामलो को, जिनमें निधियाँ, विधायिका को दरकिनार करते हुये अर्थात मूल/अनुपूरक बजट की बजाय पुनर्विनियोजन द्वारा सीधे आबंटित कर दी गयी थी, निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय
07	2216- आवास- *06- पुलिस आवास-* 053- मरम्मत एवं रखरखाव- 01- अन्य रखरखाव पर व्यय- योजना	राजस्व	--	--	3	1
08	2202- सामान्य शिक्षा- *80- सामान्य-* 107- छात्रवृतियां- 08- अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिक के पश्चात छात्रवृति योजना- गैर योजना	राजस्व	--	--	4	4
09	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- *05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-* 101- आयुर्वेद- 05- राष्ट्रीय आयुष मिशन - योजना	राजस्व	--	--	1	1
20	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 101- पंचायती राज- 01- भवन- गैर योजना	पूंजीगत	--	--	4	--

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय
27	*2203*- तकनीकी शिक्षा 105- बहुतकनीकी - 06- नई बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना- योजना	राजस्व	--	--	1	1

अध्याय VI

परिसम्पतियां तथा दायित्व

6.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अर्जन/खरीद के विभेद के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता। इसी प्रकार जैसाकि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, पर वे भावी पीढी पर दायित्वों पर समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते।

गैर वित्तिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0 एस0 यू0) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश वर्ष 2018-19 के अन्त में ₹ 309 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान कुल निवेश (₹ 3849 करोड़) पर प्राप्त लाभाँश ₹ 182 करोड़ (5 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। वर्ष 2018-19 के अन्त तक निवेश में ₹ 316 करोड़ की कमी हुई जबकि लाभाँश में 74 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2018 को ₹(-) 541 करोड़ था जो मार्च 2019 के अन्त तक घटकर ₹(-) 50 करोड़ हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में सरकार ने 133 तात्कालिक अवसरो पर ₹ 33880 करोड़ 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 787 करोड़ 91 दिनों के खजाना बिलों तथा 205 अवसरों पर ₹34501 करोड़ रिडिस्काउंट किया तथा ₹ 787 करोड़ के मूल्य का 2 अवसर पर पुनः बटटा चुकाया। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।

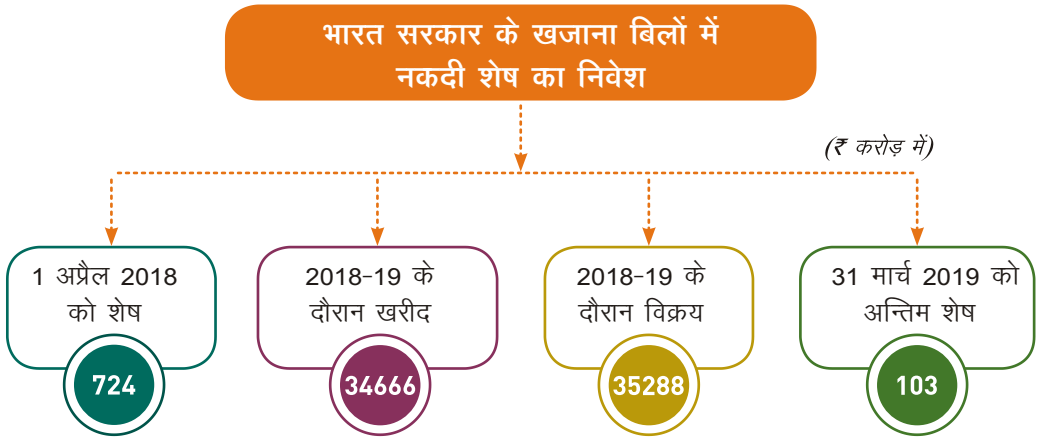

6.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2018-19 के लिए सीमा ₹ 5737 करोड़ थी। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹ 4210 करोड़ की उधारी की।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	लोक लेखा	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	कुल दायित्व	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*
2014-15	25729	27	12463	13	38192	40
2015-16	27910	25	13287	12	41197	37
2016-17	32570	26	14674	12	47244	38
2017-18	34671	26	16360	12	51031	38
2018-19	36425	24	17874	12	54299	36

(*) उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित ।
टिप्पणीः आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष से ₹3268 करोड़ (6 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी दायित्वों का रूझान

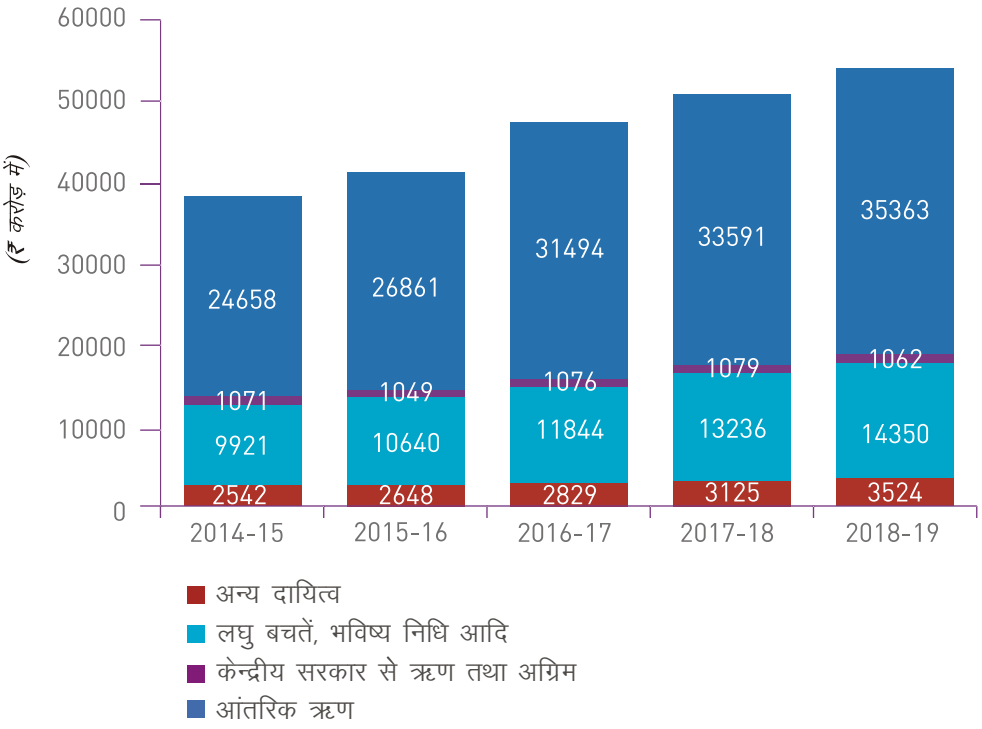

(*) स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज तथा ब्याज रहित बाध्यताएं ।

6.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2014-15	9316	4281*	लागु नहीं #
2015-16	9658	3714*	लागु नहीं #
2016-17	12320	4550*	लागु नहीं #
2017-18	8848	4394*	लागु नहीं #
2018-19	5181	4309*	लागु नहीं #

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आहारित है

 # लागु नहीं है।

अध्याय VII

अन्य मदें

7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही हैं । 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे ।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2018-19 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 6953 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹ 468 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए । 31 मार्च 2019 के अन्त में ₹ 97 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹ 22 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹ 8 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है । बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षो के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2014-15 में ₹ 2156 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 3634 करोड़ की वृद्धि हुई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 1514 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 42 प्रतिशत है।

बिगत पांच वर्षो के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है : -

क्रम सं.	संस्था का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्था	810	927	1012	781	1026
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	212	322	554	249	488
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	601	664	850	905	951
4	विकास एजेंसी	64	80	150	111	144
5	अस्पताल एवं अन्य धर्माथ संस्थानों	216	277	272	344	337
6	अन्य संस्थान	253	342	519	505	688
	जोड़	2156	2612	3357	2895	3634

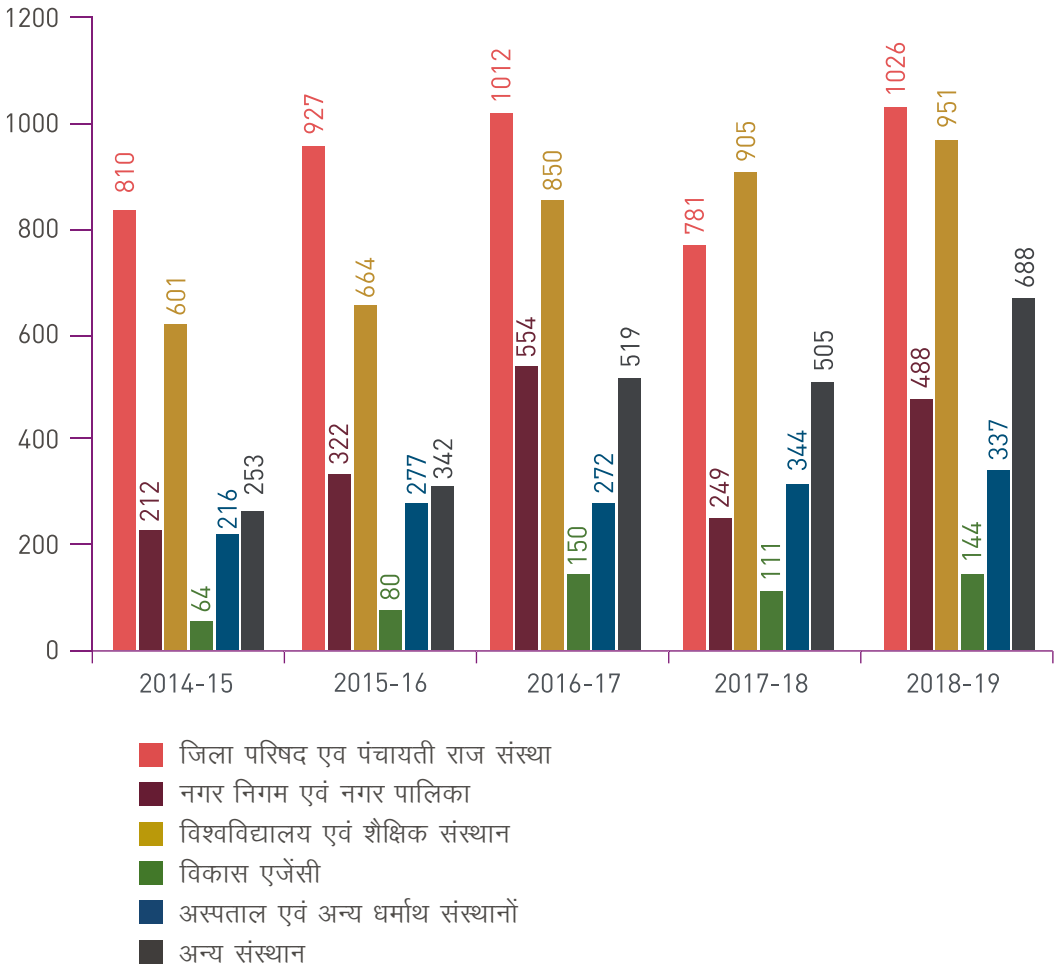

विगत पांच वर्षों में पूंजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आवंटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्था का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	जिला परिषद	88	--	--	15	29
2	पचांयत समिति	54	--	--	11	24
3	ग्राम पंचायत	51	208	326	321	370
4	नगर निगम	76	79	245	43	72
5	नगर पालिका	14	62	143	28	72
6	शैक्षिक संस्थान	10	--	1	--	--
7	विकास एजेंसी	10	15	35	38	41
8	संविधिक निगम	--	10	10	10	12
9	सहकारी संस्थान	1	--	1	1	1
10	सामाजिक कल्याण	8	--	--	--	--
11	विश्वविद्यालय	--	2	--	--	--
12	अन्य	101	159	213	206	213
	जोड़	**413**	**535**	**974**	**673**	**834**

7.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2018 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)541	(-)50	(-)491
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	724	103	(-)621
चिन्हित निधियों के शेष से निवेश	--	--	--
(क) निक्षेप निधि	--	--	--
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियां	--	--	--
वर्ष के दौरान वसूल किया गया ब्याज	81	67	(-)14

सरकार के पास 31 मार्च 2019 के अन्त में नकारात्मक रोकड़ शेष पड़ा था । इन निवेशों पर ब्याज प्राप्तियों में (₹ 81 करोड़ से ₹ 67 करोड़) 17 प्रतिशत की कमी हुई।

7.5 प्राप्ति तथा व्यय का मिलान

सरकार की प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ प्रमुख नियन्त्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.)/नियन्त्रण अधिकारी (सी ओ) द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। दोनों (प्राप्तियों एवं व्यय) के सम्बन्ध में प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों(सी सी ओ)/नियन्त्रण अधिकारियों (सी ओ) द्वारा यह मिलान पूर्ण कर लिया गया है।

7.6 लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण

वित्त लेखे 2018-19, हिमाचल प्रदेश सरकार के 1अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लेन देनों को प्रस्तुत करते हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एंव व्यय के लेखाओं को 18 जिला कोषागारों, 80 लोक निर्माण मण्डलों, 89 वन मण्डलों, 54 सिंचाई मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वितीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

7.7 अग्रिम भुगतान

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार आकस्मिक बिलों (ए.सी.) के निकासी की निगरानी करने व उनके विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी. सी.) के रूप में व्यय के समायोजन के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की है । निकासी के बिल एच0पी0टी0आर0-5 फार्म पर बनाये जा रहें हैं जिसका उपयोग साधारण बिलों के आहरण के लिए किया जाता है । राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तिय प्रबन्धन प्रणाली (आई एफ एम एस) में सार आकस्मिक अग्रिमों की पहचान के लिए प्रक्रिया विकसित नहीं की है । इसलिए, प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश का कार्यालय सार आकस्मिक बिलों की पहचान नहीं कर सका, न ही विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी कर सका। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश ने आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा और खेल सेवाएं, बागवानी व कृषि जैसे पाँच विभागों का निरीक्षण किया और पाया कि इन पाँच विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014-2019 की अवधि में ₹32 करोड़ के 306 सार आकस्मिक बिल आहरित किए । जिसमें से, ₹29 करोड़ के 75 सार आकस्मिक बिल (आयुर्वैद 62: ₹15 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 13: ₹14 करोड) अगस्त 2019 तक समायोजन हेतु लम्बित थे । यह व्यय को कम करने के परिणामी प्रभाव वाले बैंक खातों में रखे जाने वाले धन के अलावा दुर्विनियोजन/गबन के जोखिम से भरा है ।

7.8 उचन्त तथा प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षो के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। इन शीर्षो के अन्तर्गत, लम्बित शेषों का विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए निकाला जाता है। पिछले पांच वर्षो में मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा तथा 8782- प्रेषण के अन्तर्गत उचन्त मदों का सकल नामे एवं जमा के रूप में विवरण निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-उचन्त लेखा										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	45	23	56	18	77	30	86	37	96	35
निवल	22 नामे		38 नामे		47 नामे		49 नामे		61 नामे	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	139	132	195	212	275	275	171	164	150	132
निवल	7 नामे		17 जमा		शून्य		7 नामे		18 नामे	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त	36	36	0	0	0	0	0	0	1	0
निवल	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		1 नामे	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	264	286	285	303	380	395	400	454	484	497
निवल	22 जमा		18 जमा		15 जमा		54 जमा		13 जमा	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	69	371	144	407	176	399	271	348	164	306
निवल	302 जमा		263 जमा		223 जमा		77 जमा		142 जमा	
ख. 8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन										
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	4322	4507	4801	5144	6342	6652	6668	7037	7185	7661
निवल	184 जमा		343 जमा		310 जमा		368 जमा		475 जमा	
103- वन प्रेषण	217	250	190	212	139	163	120	151	152	187
निवल	33 जमा		22 जमा		24 जमा		31 जमा		36 जमा	

7.9 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

विशेष प्रयोजनों हेतु संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश वितीय नियमवाली, 1971 (संशोधित 2009) के नियम-157 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी,) प्राप्त किया जाना चाहिये, जिसे सत्यापित किए जाने के उपरान्त संस्वीकृति में उल्लिखित तिथियों के भीतर प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा प्रदत सहायता-अनुदान को सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षो के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों के अनुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष *	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि *(₹ करोड़ में)*
2016-2017 तक	669	368
2017-18	450	409
2018-19	1288	1121
कुल	**2407**	**1898**

* वर्णित वर्ष देय वर्ष अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है।

वर्ष 2018-19 में ₹ 3230 करोड़ के 3351 प्रमाण पत्र (वर्ष 2017-18 के ₹ 2023 करोड़ के 1591 प्रमाण पत्र और वर्ष 2018-19 के ₹ 1207 करोड़ के 1760 प्रमाण पत्र) प्राप्त हो चुके है।

31 मार्च 2019 तक 77 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार विभागों; पंचायती राज विभाग (₹ 990 करोड़ के 1165 उपयोगिता प्रमाण पत्र), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 20 करोड़ के 390 उपयोगिता प्रमाण पत्र), उद्योग (₹ 59 करोड़ के156 उपयोगिता प्रमाण पत्र) एवं ग्रामीण विकास (₹ 280 करोड़ के 152 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से लम्बित थे।

7.10 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता

विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 280 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के सम्मुख वर्ष 2018-19 तक के वित्त लेखे के खण्ड- II में दिए गए परिशिष्ट IX के अनुसार ₹ 181 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त दृष्टिकोण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कार्यो की श्रेणी (कार्यो की संख्या)	निर्माण कार्य की लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अद्यतन व्यय	बकाया राशियां	संशोधन के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत
1	मल निकास स्कीम (1)	6	1	9	--	16
2	जलापूर्ति स्कीम (5)	89	17	75	--	89
3	भवन कार्य (1)	165	12	83	--	165
4	सडके एव पुल (3)	20	--	14	--	20
	जोड़	**280**	**30**	**181**	**--**	**290**

7.11 नई पेंशन स्कीम

वर्ष के दौरान 14 मई 2003 या उससे पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के पैंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों पर ₹ 4727 करोड़ व्यय किया गया (जिसमें ₹ 379 करोड़ अवकाश नगदीकरण लाभ सम्मिलित हैं) जोकि राज्य के कुल राजस्व व्यय ₹ 29442 करोड का 16.05 प्रतिशत है। 15 मई 2003 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अशंदायी पैंशन योजना के हकदार है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों (कर्मचारी एंव नियोक्ता) प्रकार के अशंदानों को आरम्भ में लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन योजना में जमा किया जाना है । तत्तपश्चात संपूर्ण राशि को उसी वर्ष में पदनामित निधि प्रबंधक के द्वारा नैशनल स्क्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एन. एस. डी. एल.)/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाना है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार को कर्मचारी शेयर के लिए ₹ 302 करोड़ मिले। राज्य सरकार के तुलनात्मक अंशदान/हिस्से के ₹ 302 करोड़ और सार्वजनिक खाते में उपलब्ध ₹ 1 करोड़ (नामे) के प्रारंभिक शेष राशि को ध्यान में रखते हुए कुल ₹ 603 करोड़ को एन. एस. डी. एल. को हस्तांतरित किया जाना था। संपूर्ण राशि को लोक लेखा खाते के माध्यम से अन्तरण न करने के कारण प्रतिकूल शेष बढ़कर ₹ 1करोड़ हो गया है।

एन. एस. डी. एल. से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान कुल राशि ₹ 606 करोड़ जमा की गई। एन. एस. डी. एल. को हस्तांतरित ₹ 606 करोड़ में से केवल ₹ 525 करोड़ निर्धारित लेखा प्रक्रिया के बाद सरकार के खाते से भेजे गए हैं।

7.12 व्यक्तिगत जमा खाते

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 खण्ड- 1 नियम संख्या 12.7 के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन समेकित निधि में से राशियों के अन्तरण द्वारा किया जाता है, जिसे निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय को संबंधित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को समेकित निधि में वापिस अन्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को अगले वर्ष पुनः खोला जाता है। पिछले कई वर्षों से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा अनुरोध करने पर भी इन नियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है। व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्न हैः-

(₹ करोड़ में)

01.04.18 को व्यक्तिगत जमा खातों अथ शेष		वर्ष 2018-19 के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष 2018-19 के दौरान बन्द किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान संयोजन	इतिशेष 31-03-2019		संचालित लेखे		असंचालित लेखे	
संख्या	राशि	शून्य	शून्य	...	...	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
112	3					112	3	102	2	10	...

(i) 1 वर्ष से अधिक अवधि तक असंचालित राशि -- ₹0.13 करोड़

(ii) 3 वर्ष से अधिक अवधि तक असंचालित राशि- शून्य

7.13 निवेश

राज्य सरकार वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थानों के इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। लेखाओं के अनुसार 67 इकाईयों में सरकार का निवेश 31 मार्च 2019 तक ₹ 3849 करोड़ था। जिनमें से ₹ 182 करोड़.लाभांश/ब्याज(कुल निवेश का 4.73 प्रतिशत है) प्राप्त हुए। इन में से केन्द्रीय सरकार कम्पनी हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (पहले नाथपा झाकड़ी पॉवर कॉर्पोरेशन) में निवेशित ₹ 1,098 करोड़ से ₹ 179 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ तथा 66 इकाईयों में निवेशित ₹ 2751 करोड़ से केवल ₹ 3 करोड़ का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ। यद्यपि राज्य सरकार से इन आंकड़ों की पुष्टि की आवश्यकता है क्योंकि इन संस्थाओं से आकड़ों का मिलान नहीं किया गया है ।

7.14 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 (संशोधित 2009) के नियम 41(3) के अनुसार विशेष रूप में वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभागों की गैर-योजना तथा योजना में नियन्त्रित तरीके से व्यय करने की अनुमती दें जैसे कि चौथी तिमाही में 25 प्रतिशत।

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय की तुलना, अन्तिम तिमाही, मार्च महीने में और मार्च 2019 के अन्तिम तीन दिनों में किये गए व्यय निम्न है:-

(₹ करोड़ में)

कुल व्यय 2018-19	जनवरी से मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	मार्च 2019 के अन्तिम तीन दिनों में किया गया व्यय	इस दौरान किया गया कुल व्यय का प्रतिशत		
				जनवरी से मार्च 2019	मार्च 2019	मार्च 2019 के अन्तिम तीन दिनों में
34026	12342	6164	1252	36	18	4

मार्च 2019 के महीने में ₹ 6164 करोड़ की राशि जो कुल खर्च का 18 प्रतिशत थी व्यय की गई। इसमें से ₹ 1252 करोड़ की राशि व्यय स्वीकृति के आधार पर पिछले तीन दिनों के दौरान व्यय के रूप में बुक की गई है। वाउचर/उप वाउचर की अनुपस्थिति में यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि व्यय किया गया है या नहीं।

(ख) मार्च 2019 में, यद्यपि, राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ₹ 1750 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय ₹ 4583 करोड़ का 38 *प्रतिशत*) तथा राजस्व व्यय पर ₹ 4414 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹ 29442 करोड़ का 15 *प्रतिशत*) खर्च किया। लेखों की मुख्य शीर्ष बार विवरणी, जहां महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष लेखे जिसमें कुल व्यय का 25 प्रतिशत या इससे अधिक हैं) मार्च 2019 में व्यय हुआ, **अनुबन्ध- घ** में दर्शाया गया है। ₹ 6164 करोड़ व्यय (पूंजीगत व्यय ₹ 1750 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹ 4414 करोड़) के अनुपात में मार्च 2019 में ₹ 4147 करोड़ की प्राप्ति भी की, जो कुल प्राप्तियों ₹ 30959 करोड़ का 13 *प्रतिशत* है। लेखों की मुख्य शीर्ष बार विवरणी, जहां महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष लेखे जिसमें कुल प्राप्तियों का 25 *प्रतिशत* या इससे अधिक हैं) मार्च 2019 में प्राप्त हुआ, **अनुबन्ध- ङ** में दर्शाया गया है। मार्च माह में व्यय का मुख्य रूपेण अन्तरण, विशेष कर अन्तिम दिन में, यह दर्शाता है कि व्यय का मुख्य उद्देश्य बजट को समाप्त करना था और यह अपर्याप्त बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।

(ग) जनवरी से मार्च के दौरान प्राप्ति और व्यय की तुलनात्मक विवरणी नीचे सारणीबद दर्शायी है।

(₹ करोड़ में)

माह	प्राप्ति		कुल प्राप्ति	व्यय		कुल व्यय
	राजस्व	पूंजीगत		राजस्व	पूंजीगत	
जनवरी	3067	-	3067	2141	645	2786
फरवरी	2584	3	2587	3031	361	3392
मार्च	4147	-	4147	4414	1750	6164
कुल	9798	3	9801	9586	2756	12342

7.15 आरक्षित निधियों की स्थिति

आरक्षित निधियां तथा चिन्हित निधि में निवेशों का विस्तृत विवरण विवरणी संख्या 21 व 22 में दिया गया है। विशेष प्रयोजन हेतु तीन आरक्षित निधियां (8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ- 1 करोड़, 8229- विकास और कल्याण निधियाँ- 316 करोड़, 8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ- 1 करोड़) में 31 मार्च 2019 तक कुल जमा राशि ₹317 करोड़ है। आरक्षित निधियों में से राज्य सरकार द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का विवरण निम्न प्रकार हैः

7.15.1 समेकित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोंग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि (स्वैच्छिक) बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा संचालित करना था।

आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार,राज्य सरकार को गत वर्ष के कुल बकाया देनदारियों का 0.5 प्रतिशत के बराबर इस निधि में अंशदान देना अपेक्षित है। बकाया देनदारियों से अभिप्राय आन्तरिक ऋण तथा लोक ऋण देनदारियों (विवरणी संख्या-6) से है। राज्य सरकार द्वारा यद्यपि समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया फलस्वरूप वित्तिय वर्ष 2018-19 के दौरान समेकित निधि में ₹ 255 करोंड़ (31 मार्च 2018 को बकाया देय देनदारियां ₹ 51031 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में नही दिया गया।

7.15.2 गांरटी मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि (स्वैच्छिक) स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना था। यद्यपि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने गारंटी मोचन निधि को स्थापित नहीं किया गया। 14 गारंटी इकाईयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2018 तक इन 14 इकाईयों की बकाया गारंटी ₹ 4394 करोड़ बनती है। इस आधार पर वर्ष 2018-19 में इस निधि को देय राशि ₹ 22 करोड़ का योगदान नहीं दिया गया।

7.15.3 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

(i) तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी) की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' (एस डी आर एफ) स्थापित की है। दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार को इस निधि में 90:10 के अनुपात से योगदान/अंशदान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹246 करोड़ केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार के आपदा प्रतिक्रिया निधि में 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में प्राप्त किये गये। राज्य सरकार द्वारा अपने देय अंशदान ₹27 करोड़ की जगह ₹27 करोड़ जारी किये गये। कुल संग्रह ₹282 करोड़ (आरंभिक शेष ₹8 करोड़ और मुख्य शीर्ष 2245-सहायता से अन्तरण ₹273 करोड़) जारी किये गये। राज्य सरकार द्वारा आरंभिक ₹281 करोड़ को प्राकृतिक आपदाओं पर किये व्यय के रूप में समायोजित किया गया। 31 मार्च 2019 को ₹1.00 करोड की राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष थी।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 28 सितम्बर 2010 तथा 30 जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बकाया निधि विशेष प्रयोजनों में ही निवेश की जानी चाहिए तथापि राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत राशि को निवेश नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के ओवर ड्राफट अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को छः माह आधार पर ब्याज की अदायगी एस. डी. आर. एफ.में नहीं की गई ।

(ii) 30जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च के लिये एस. डी. आर. एफ. में बकाया राशि से अधिक व्यय हो सकता है (स्वैच्छिक), जो शीघ्र सहायता के रूप मे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त की जा सकती है। राज्य सरकार को ₹ 227 करोड़ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत प्राप्त हुए है और ₹ 227 करोड़ का व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत हुआ। ₹ 1(आरंभिक शेष ₹ 1 करोड़ + ₹ 227 करोड़ - ₹ 227 करोड़) करोड़ का शेष मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि-125- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में 31 मार्च 2019 को उपलब्ध था ।

7.16 भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण सैस की लेखा प्रणाली

(क) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर: श्रमिक कल्याण लेखों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई नियम नही बनाये और श्रमिक उपकरों के संग्रह की बुकिंग के लिये राज्य सरकार उपशीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया।
श्रमिक उपकर भवन एंव सडक निर्माण विभाग/सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग द्वारा 8443-सीविल डिपोजिट (नागरिक जमा)-108-सार्वजनिक निर्माण जमा, हिमाचल प्रदेश के समेकित निधि को बिना भेजे ही बनाये गये। जब तक सार्वजनिक निर्माण जमा उपशीर्ष न खुला हो, एकत्रित उपकर की राशि, वास्तव में श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तान्तरित की गई राशि, शेष राशि का हस्तांतरण और उपकर संग्रह से होने वाले व्यय का निर्धारित लेखाकंन नियमों की अनुपस्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान भवन एंव सडक निर्माण/सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभागों द्वारा मुख्य शीर्ष 8443-में श्रमिक उपकर के रूप में ₹ 23 करोड़ संग्रहित और ₹ 20 करोड़ संवितरित किये गये।

(ख) परिवहन अवसंरचना निधि:- इस निधि का सृजन हि0प्र0 मोटर वाहन कर अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक बार के कर पर 10 प्रतिशत और अन्य करों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाकर किया जाएगा। वर्ष के दौरान ₹ 12 करोड़ सग्रहित किये गये और मुख्यशीर्ष 0041-00-102-08 में जमा किये गये। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी लेखा प्रक्रिया नहीं बनाई गई है।

7.17 लेखाकंन मानक से संकलन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

भारत सरकार द्वारा तीन लेखा मानकों को अधिसूचित किया गया है।

(i) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां-प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताएं (भा.ले.मा.-1)

(ii) सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण (भा.ले.मा.-2)

(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में (भा.ले.मा.-3)।

इन लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है।